7/5/26	पत्रावली पेश हुई उ०प० 07 R 11 CRC निगरानी किया जाना दाखा वादी व्याजि किया जाना है। विपक्षी निर्णय हुए से लिखना जाना शामिल पत्रावली किया जाना। पत्रावली कैन्सल शुल्क जमा करके दाखिल दफ्तर हो आदेश हुआ।

उपजिलाधिकारी

कसौली (उ०प्र०)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास

उनवान

1. मोहनी उम्र 60 साल } पुत्रियान कैलाप्रसाद
2. गीता उम्र 58 साल

सभी जातियान माली निवासीयान होली खिडकिया बाहर करौली तहसील व जिला करौली

—वादीगण

बनाम

1. गोपाल } पुत्रान कैलाप्रसाद
2. बाबू
3. बिरसो पत्नि स्व0 विजयसिंह
4. पुष्पेन्द्रपुत्र पुत्रियान विजयसिंह
5. लखन }
6. भूरी
7. राजकुमारी

जातियान माली निवासीयान होली खिडकिया बाहर करौली तहसील व जिला करौली

8. मेहनसिंह } पुत्रान सत्यनारायण
9. राधेश्याम
10. प्रेमसिंह
11. शिवचरण

जातियान माली निवासीयान हाल झील का हार करौली तहसील व जिला करौली

12. करणसिंह पुत्र झींगुरिया जाति माली निवासी झील का हार, नदी बरखेडा करौली तहसील व जिला करौली
13. जगदीश पुत्र रामफुल जाति माली निवासी अटा गुनेसरा तहसील करौली जिला करौली
14. श्रीमति कमली देवी पत्नि भगवानसिंह
15. केदार लाल पुत्र मीठ्या लाल
16. हरकेश पुत्र मीठ्या लाल

सभी जाति कुम्हार निवासीयान हाथीपुरा तहसील करौली जिला करौली

17. रामसिंह पुत्र परसादी जाति माली निवासी झील का हार करौली तहसील व जिला करौली
18. लैण्ड हौल्डर तहसीलदार तहसील करौली जिला करौली

—प्रतिवादीगण

दावा घोषणा बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर टी एक्ट
में
आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

मुकदमा नं. 48/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री रामजीलाल अग्रवाल, एडवोकेट** मिनजानिब मुदई **श्री रामनिवास शर्मा, एडवोकेट, श्री कृष्ण कांत बंसल, एडवोकेट** मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अतः —पत्र प्रार्थीयान/प्रतिवादीगण आदेश 7 रूल 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण वादकारण के में खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो।

.... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद निज बगरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 7/4/26 को सन् 2026 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

	रूपया	पैसे	मुददायलह	रूपया	पैसे
अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
बजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
ा वकील			खर्चा गवाहान		
वाहान			फीस कमिश्नर		
मिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
जराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
क					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0:–48 / 25 तारीख रजु:–09.10.25

उनवान

1. मोहनी उम्र 60 साल
2. गीता उम्र 58 साल

पुत्रियान कैलाप्रसाद

सभी जातियान माली निवासीयान होली खिडकिया बाहर करौली तहसील व जिला करौली

–वादीगण

बनाम

1. गोपाल
2. बाबू

पुत्रान कैलाप्रसाद

3. बिस्सो पत्नि स्व0 विजयसिंह
4. पुष्पेन्द्र
5. लखन
6. भूरी
7. राजकुमारी

पुत्र पुत्रियान विजयसिंह

जातियान माली निवासीयान होली खिडकिया बाहर करौली तहसील व जिला करौली

8. मेहनसिंह
9. राधेश्याम
10. प्रेमसिंह
11. शिवचरण

पुत्रान सत्यनारायण

जातियान माली निवासीयान हाल झील का हार करौली तहसील व जिला करौली

12. करणसिंह पुत्र झींगुरिया जाति माली निवासी झील का हार, नदी बरखेडा करौली तहसील व जिला करौली

13. जगदीश पुत्र रामफुल जाति माली निवासी अटा गुनेसरा तहसील करौली जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

14.श्रीमति कमली देवी पत्नि भगवानसिंह

15.केदार लाल पुत्र मीठ्या लाल

16.हरकेश पुत्र मीठ्या लाल

सभी जाति कुम्हार निवासीयान हाथीपुरा तहसील करौली जिला करौली

17.रामसिंह पुत्र परसादी जाति माली निवासी झील का हार करौली तहसील व जिला करौली

18.लैण्ड हौल्डर तहसीलदार तहसील करौली जिला करौली

—प्रतिवादीगण

दावा घोषणा बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर टी एक्ट में
आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

—::आदेश::— दिनांकः—7.4.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना—पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादीगण प्रार्थीयान ने यह आवेदन इस आशय का पेश किया है कि वादीगण ने अपना हक हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड रिलीज डीड चंदरी वगै0 वहक गोपाल वगै0 दिनांक 2.3.2002 के दिवस त्याग कर दिया है और वादीगण को विवादित भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं रहा है। यह जानकारी वादीगण को हमेशा से रही है। फिर भी यह दावा प्रतिवादीगण के विरूद्ध झूठे मनगंढत तथ्य दर्ज कर पेश किया है। वादीगण को कोई वाद हेतुक उदय भी नहीं हुआ है। तब यह वाद पेश करने का हक व अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत यह वाद वादकारण के अभाव में इसी स्तर पर आदेश आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। अंत में प्रार्थना स्वीकार कर दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वादीगण अप्रार्थीयान द्वारा जबाव प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र में दिनांक 2.3.2002 के दिवस हक त्याग जरिये रजिस्टर्ड रिलीज डीड करना बताया है। जो गलत है। उक्त रिलीज डीड वादीगण अनपढ महिला होने का फायदा उठाकर प्रतिवादीगण ने वादीगण को धोखे में रखकर उक्त रिलीज डीड साजिशी करवाई है। जबकि वादीगण ने कभी भी विवादग्रस्त भूमि का हक त्याग नहीं किया है। आज भी भूमि पर काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण गलत व साजिशी रिलीज डीड के आधार पर

वादीगण को हक हकूकों से वंचित करना चाहते है। अंत में प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस वकील उभयपक्ष प्रार्थना–पत्र पर सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील प्रार्थीयान ने जबाव प्रार्थना–पत्रों के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि वादीगण ने अपना हक हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड रिलीज डीड चंदरी वगै0 वहक गोपाल वगै0 दिनांक 2.3.2002 के दिवस त्याग कर दिया है और वादीगण को विवादित भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं रहा है। यह जानकारी वादीगण को हमेशा से रही है। फिर भी यह दावा प्रतिवादीगण के विरूद्व झूठे मनगंढत तथ्य दर्ज कर पेश किया है। वादीगण को कोई वाद हेतुक उदय भी नहीं हुआ है। तब यह वाद पेश करने का हक व अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत यह वाद वादकारण के अभाव में इसी स्तर पर आदेश आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील अप्रार्थीयान प्रतिवादीगण का बहस में कथन है कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में दिनांक 2.3.2002 के दिवस हक त्याग जरिये रजिस्टर्ड रिलीज डीड करना बताया है। जो गलत है। उक्त रिलीज डीड वादीगण अनपढ महिला होने का फायदा उठाकर प्रतिवादीगण ने वादीगण को धोखे में रखकर उक्त रिलीज डीड साजिशी करवाई है। जबकि वादीगण ने कभी भी विवादग्रस्त भूमि का हक त्याग नहीं किया है। आज भी भूमि पर काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण गलत व साजिशी रिलीज डीड के आधार पर वादीगण को हक हकूकों से वंचित करना चाहते है। अंत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत रजिस्टर्ड रिलीज डीड दिनांक 2.3.2002 का अवलोकन किया गया। जो वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण 1 व 2 एवं प्रतिवदी नंबर 3 ता 7 के पिता व पति विजय सिंह के हक में पंजीयन कराया गया है। जिसको वादीगण द्वारा आज दिवस तक सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। हक त्याग करने से वादीगण के वादग्रस्त आराजी में कोई हक हकूक खातेदारी शेष नहीं रहते है और वादीगण को उक्त दावा पेश करने का वादकारण दिनांक 25.08.2025 को उदय नहीं होता है। दावा वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अल0)

वादकारण के अभाव में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है और प्रार्थना–पत्र प्रार्थीयान स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीयान/प्रतिवादीगण आदेश 7 रूल 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण वादकारण के अभाव में खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश आज दिनांक 07.04.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली